



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5094/2006

याचिकाकर्ता

- मोहर साई, पिता स्व. श्री समल, आयु लगभग 52 वर्ष,
व्यवसाय—सेवा (लोडर), निवासी—चौकी दफाई, कोरिया
कोलियरी, तहसील बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण

- 1. एस.ई.सी.एल, द्वारा प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर
(छ.ग.)
2. महाप्रबंधक, चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छ.ग.)
3. उप-क्षेत्र प्रबंधक, रानी अटारी परियोजना, चिरमिरी क्षेत्र,
जिला कोरिया (छ.ग.)
4. खान अधीक्षक, रानी अटारी परियोजना, चिरमिरी क्षेत्र,
जिला कोरिया (छ.ग.)



भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:

श्री ए.के. पाण्डेय, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री रवि रंजन सिन्हा, अधिवक्ता — उत्तरवादीगण की ओर से।

आदेश

(दिनांक 5 जुलाई, 2007 को पारित)

पक्षकारों की सहमति से, इस प्रकरण को प्रवेश स्तर पर ही अंतिम रूप से सुना गया।

याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिनांक 01.01.1979 को लोडर के पद पर हुई थी। उसकी सेवा पुस्तिका (प्रपत्र-B, नियम 48, 51, 77 एवं 77क(2) के अनुसार) में, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसकी जन्मतिथि 30.09.1946 दर्ज की गई थी। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 01.10.2006 से सेवा से सेवानिवृत्ति ग्रहण कर ली।

(2) सेवा के अंतिम चरण में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.10.2005 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने दिनांक 02.09.1996 को जारी प्राथमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (अनुलग्नक पी./1) संलग्न किया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10.04.1954 अंकित थी।

(3) उत्तरवादियों ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2007 में तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.10.2005 को दिया गया आवेदन सेवा के अंतिम चरण में किया गया था। उत्तरवादियों के अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि में कोई विसंगति या अस्पष्टता नहीं है। अतः याचिकाकर्ता इस चरण पर, जब वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर चुका है तथा ग्रेच्युटी का भुगतान भी प्राप्त कर चुका है, किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

4) पुष्पा रानी चक्रवर्ती और अन्य बनाम इलाहाबाद बैंक और अन्य¹ के प्रकरण में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने कंडिका 3 एवं 6 में निम्नलिखित कहा:-

“3. चूँकि प्रविष्टियाँ स्वयं कर्मचारी द्वारा अपने हस्तलेख में की गई थीं और उसने उन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर बैंक में सेवा की तथा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक जन्मतिथि में सुधार हेतु कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए अब अपने सेवा-काल के अंतिम चरण में वह सेवा अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि को चुनौती

देने के लिए वापस नहीं मुड़ सकता। एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है और अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।”

“6. जन्मतिथि में संशोधन कराने का अधिकार, चाहे वह मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के आधार पर हो या अन्यथा, कोई विधिक अधिकार तो दूर, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है।”

(5) पंजाब राज्य और अन्य बनाम एस.सी. चड्ढा² के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:-

“ऐसे नियमों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जन्मतिथि में संशोधन संबंधी दावा दशकों के बाद, विशेषकर लोक सेवक के सेवानिवृत्ति के निकट, न तो किया जाए और न ही उस पर विचार किया जाए।”

(6) आगे उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और अन्य बनाम राज कुमार अग्निहोत्री³ के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

“उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने निरंतर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि शासकीय अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों, जिनके आधार पर कर्मचारी ने सेवा प्राप्त की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से कुछ वर्ष पूर्व या सेवा के अंतिम चरण में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

(7) उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि सेवा अभिलेख में दिनांक 30.09.1946 के रूप में उसी के द्वारा अंकित कराई गई थी, जब उसे दिनांक 01.01.1979 को लोडर के पद पर नियुक्त किया गया था। सेवा के अंतिम चरण में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.08.2005 (अनुलग्नक पी./2) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जन्मतिथि में संशोधन की मांग की, जो कि कथित प्राथमिक विद्यालय प्रमाणपत्र के आधार पर थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10.04.1954 अंकित है।

2 (2004) 3 SCC 394

3 (2005) 11 SCC 465

याचिकाकर्ता ने यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उसने पूर्व में या सेवा के प्रारंभिक समय में इस विवाद्यक को क्यों नहीं उठाया। उसने सेवानिवृत्ति से लगभग एक वर्ष पूर्व ही अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अतः याचिकाकर्ता सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में संशोधन हेतु हस्तक्षेप का कोई प्रकरण स्थापित नहीं कर सका है।

(8) परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका निरस्त की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।